



बिहार राज्य जैव-विविधता पर्षद
(जैव विविधता अधिनियम-2002 के अंतर्गत गठित सरकार का एक स्वायत्त सांविधिक निकाय)

संख्या ...बी०-30

दिनांक ...02/07/2024



कार्यालय आदेश

विषय: संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक को कार्य विषयों का आवंटन

1. विषयांकित संबंध में पूर्व के आदेश/ज्ञाप को अवक्रमित करते हुए पर्षद में नवनियुक्त संयुक्त निदेशक तथा उप निदेशक को कार्य विषयों का आवंटन निम्नवत किया जाता है।

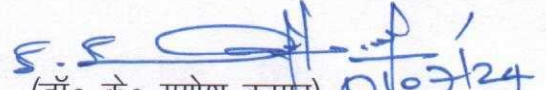
(क) श्री हेम कान्त राय, भा०व०से०(से०नि०), संयुक्त निदेशक को आवंटित कार्य विषय:—

- (1) जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत जैव विविधता संरक्षण तथा पहुँच एवं लाभ हिस्सेदारी के प्रावधानों से सम्बन्धित समस्त विषय एवं क्रिया-कलाप:—
 - (i) जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास।
 - (ii) जन जैव विविधता पंजी का निर्माण एवं संधारण/अद्यतिकरण इत्यादि।
 - (iii) जैविक संसाधनों के उपयोग इत्यादि के सम्बन्ध में नियामक प्रावधानों का क्रियान्वयन।
 - (iv) पहुँच एवं लाभ हिस्सेदारी के प्रावधानों के सम्बन्ध में सूचना संग्रहण एवं उनको प्रयुक्त करने संबंधी कार्रवाई।
- (2) जैव विविधता विरासत स्थल की पहचान एवं अधिसूचना तथा इनके अनुसरण के क्रिया-कलाप।
- (3) शोध, अनुसंधान एवं विशेष अध्ययन।
- (4) राज्य की जैव विविधता योजना का सूत्रण।
- (5) GIS इकाई के कार्यो तथा वैज्ञानिक पदाधिकारी सह जैव-स्थानिक विश्लेषक का पर्यवेक्षण।
- (6) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संचालित क्रिया-कलाप, प्रशिक्षु (NBA Intern) का पर्यवेक्षण, एवं प्राधिकरण से पत्राचार।
- (7) अंतर्विभागीय संवाद एवं समन्वयन।
- (8) आन्तरिक निगरानी।

(ख) श्री मिहिर कु० झा, भा०व०से०(से०नि०), उप निदेशक को आवंटित कार्य विषय:—

- (i) जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा बिहार जैव विविधता नियम 2017 के विहित प्रक्रियात्मक एवं प्रशासनिक प्रावधानों का अनुपालन।
- (ii) बिहार जैव विविधता नियम, 2017 में अपेक्षित संशोधन।
- (iii) जैव विविधता संबंधी विशेष वनस्पतिक योजना तथा विरासत वृक्ष की पहचान एवं अधिसूचना का कार्यक्रम।
- (iv) पर्षद के मानव संसाधन का प्रबन्धन एवं अनुसचिवीय कार्मिकों का प्रशासन।
- (v) पर्षद के कार्यालय संचालन की व्यवस्था, सामग्री एवं सेवाओं का क्रय/आपूर्ति, उपयोग एवं संधारण।

- (vi) पर्षद के वित्तीय विषय – बजट, लेखा एवं अंकेक्षण।
- (vii) प्रचार-प्रसार, वेबसाइट तथा आई०टी० इकाई एवं एम०आई०एस० पदाधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण।
- (viii) लोक सूचना का अधिकार अधिनियम, लोक शिकायत, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण से संबंधित वैधानिक प्रावधान तथा यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013।
2. उपर्युक्त विषयों के अलावे संयुक्त निदेशक/उप निदेशक द्वारा अध्यक्ष/सचिव के स्तर से समय-समय पर पर्षद के कार्यक्षेत्र अथवा राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के निदेश के अन्तर्गत निर्दिष्ट मामलों का निष्पादन किया जायगा।
3. संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक द्वारा उपर्युक्त कार्य विषयों एवं पर्षद के अन्य कार्यों से सम्बन्धित राज्य में क्षेत्रीय भ्रमण एवं अन्य प्रयोजनार्थ विशेष भ्रमण किए जायेंगे।
4. संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक एक-दूसरे की अनुपस्थिति के अवसरों पर एक-दूसरे को आवंटित कार्य विषयों के समयबद्ध निष्पादन हेतु लिंक पदाधिकारी के रूप में कार्य पदाधिकारी कार्य करेंगे।

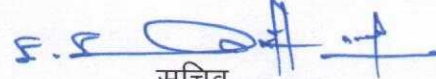

(डॉ० के० गणेश कुमार) 02/07/24

सचिव,

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना।

संख्या बी०-385, दिनांक 02/07/2024

प्रतिलिपि:— श्री हेम कान्त राय, भा०व०से०(से०नि०), संयुक्त निदेशक एवं श्री मिहिर कु० झा, भा०व०से०(से०नि०), उप निदेशक, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव,

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना।

संख्या बी०-385, दिनांक 02/07/2024

प्रतिलिपि:— वैज्ञानिक पदाधिकारी सह जैव-स्थानिक विश्लेषक एवं एम०आई०एस० पदाधिकारी, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव,

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना।

संख्या बी०-385, दिनांक 02/07/2024

प्रतिलिपि:— सभी कार्यालय सहायक, आशुलिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं कार्यालय पारिचारी बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव, 02/07/24

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना।